समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर

केम्प भोपाल

पुनरीक्षणकर्ता –: कृष्णा पालीवाल आ. दामोदरप्रसाद पालीवाल एवं अन्य
निवासी सोहागपुर तह. सोहागपुर, जिला – होशंगाबाद

//विरूद्ध// R 3733 PBR/16

अनावेदकगण –:
1. मध्यप्रदेश शासन
द्वारा जिला पंजीयक होशंगाबाद
2. उप पंजीयक सोहागपुर तह. सोहागपुर जि.होशंगाबाद

//पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण मध्यप्रदेश भू.रा.संहिता धारा 50//

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निवेदन है कि –:

//उत्पन्न//

न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद

राजस्व प्रकरण क्रमांक – 392अ वर्ष 2015–16

पक्षकार कृष्णकुमार पालीवाल वनाम्

मध्यप्रदेश शासन जिला पंजीयक होशंगाबाद वगैरा

आदेश दिनांक – 20/09/2016

//प्रकरण का संक्षिप्त विवरण//

1. यह कि पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा निम्न न्यायालय में एक राजस्व अपील प्रस्तुत की है जो कि अपील आवेदन अंतर्गत भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की ध ारा 47 क (4) – 3 का (4) के तहत न्यायालय कलेक्टर ऑफ एवं पंजीयक होशंगाबाद के आदेश प्रकरण क्रमांक 25/बी–105/12–13 मे पारित आदेश दिनांक 31/10/2013 से दुखी होकर प्रस्तुत की है। जिसमें अधिनस्थ न्यायालय ने अपील को समयावधि में मानकर ग्राह किया है तथा स्थगन आवेदन धारा 52 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 का अमान्य किया है जबकि प्रकरण में मौजूदा आपातिक स्थिति विद्यमान है और

निरंतर 2........पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3733 –पीबीआर / 2016 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2016	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–09–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा उक्त आदेश से आवेदक के स्थगन दिये जाने के आवेदन पत्र में स्थगन दिये जाने का आधार स्पष्ट नहीं होने के कारण स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया है । आवेदक की ओर से इस न्यायालय के समक्ष भी ऐसा कोई आधार नहीं बतलाया गया है कि स्थगन दिया जाना क्यों आवश्यक है । अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	